तिब्बती लोगों को वास्तविक स्वायत्तता देने के लिए ज्ञापन

और

परम पावन चौदहवें दलाई लामा द्वारा यूरोपीय संसद के पूर्ण सत्र को संबोधन

तिब्बती लोगों को वास्तविक स्वायत्तता देने के लिए ज्ञापन

१. परिचय

साल २००२ में चीन जनवादी गणतंत्र (पीआरसी) की केंद्रीय सरकार के साथ सीधा संपर्क नए सिरे से कायम होने के बाद परम पावन चौदहवें दलाई लामा के दूतों और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के बीच गहन चर्चा हुई। इन चर्चाओं में हमने तिब्बतियों की आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा। मध्यम मार्ग नीति का सार यह है कि चीन के संविधान के भीतर ही तिब्बती लोगों को वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके। यह तिब्बती और चीनी, दोनों जनता के परस्पर हित में है और दोनों के दीर्घकालिक हितों पर आधारित है। हम इस बात पर दृढ़ हैं कि हम चीन से अलगाव या आज़ादी नहीं चाहते। हम वास्तविक स्वायत्तता के द्वारा तिब्बत की समस्या का ऐसा हल चाहते हैं जो चीन जनवादी गणतंत्र के संविधान में दिए गए स्वायत्तता के सिद्धांतों के अनुरूप हो। तिब्बत की विशिष्ट पहचान के सभी पहलुओं का संरक्षण एवं विकास पूरे मानवता के वृहद हित में है, खासकर तिब्बती और चीनी जनता के।

बीजिंग में १ और २ जुलाई, २००८ को आयोजित वार्ता के सातवें दौर में चीन की पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और सेंट्रल यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के मंत्री श्री ड्यू क्विंगलिन ने तिब्बत में स्थिरता और विकास के लिए खुलकर परम पावन दलाई लामा के सुझाव मांगे थे। सेंट्रल यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के कार्यकारी उप मंत्री श्री झू विकुन ने कहा था कि हम जिस तरह की स्वायत्तता चाहते हैं उसके स्वरूप या उसकी मात्रा के बारे में, साथ ही चीन के संविधान के दायरे में क्षेत्रीय स्वायत्तता के सभी पहलुओं के बारे में वे हमारे विचार जानना चाहते हैं।

इसके अनुसार ही यह ज्ञापन वास्तविक स्वायत्तता के बारे में हमारी राय को सामने रखता है और यह भी बताता है कि किस प्रकार स्वायत्तता और स्वशासन की तिब्बती राष्ट्रीयता की विशिष्ट जरूरतों को चीन जनवादी गणतंत्र के संविधान में निहित स्वायत्तता के सिद्धांतों को लागू करके ही पूरा किया जा सकता है, जहां तक हमने समझा है।

इस आधार पर परम पावन दलाई लामा को पूरा भरोसा है कि चीन के भीतर ही वास्तविक स्वायत्तता देकर तिब्बती राष्ट्रीयता की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।

चीन जनवादी गणतंत्र एक बहुराष्ट्रीयता वाला देश है और जैसा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में होता है, चीन भी राष्ट्रीयता और अल्पसंख्यक नागरिकता के सवालों को स्वायत्तता और स्वशासन के द्वारा हल करना चाहता है। चीन के संविधान में स्वायत्तता और स्वशासन के बुनियादी सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिनका लक्ष्य तिब्बती जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप है। हान अंध देशभक्ति और स्थानीय राष्ट्रीयता दोनों को खारिज करते हुए दमन और राष्ट्रीयता के अलगाव दोनों का विरोध करते हुए क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता को पूरा किया जाना है। इसका इरादा अल्पसंख्यक नागरिकता को खुद अपने मामलों का स्वामी बनने की ताकत प्रदान करके उनकी संस्कृति और पहचान की रक्षा करना है।

जहां तक हम समझते हैं काफी हद तक तिब्बती जरूरतों को स्वायत्तता के संवैधानिक सिद्धांतों के भीतर ही पूरा किया जा सकता है। कई बिंदुओं पर संविधान में राज्य के अंगों को निर्णय लेने और स्वायत्तता की व्यवस्था के संचालन के लिए काफी विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। इन विवेकाधीन ताकतों का इस्तेमाल तिब्बतियों के लिए वास्तविक स्वायत्तता को इस तरीके से सुगम बनाने के लिए किया जा सकता है कि जो तिब्बत की विशिष्टता के अनुकूल हो। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए स्वायत्तता से जुड़े कानूनों की समीक्षा की जा सकती है या उनमें बदलाव किया जा सकता है ताकि वे तिब्बती राष्ट्रीयता के विशिष्ट लक्षणों और जरूरतों के अनुरूप हों। दोनों पक्षों की भलाई के लिए अनसुलझे मुद्दों को स्वायत्तता के संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर सुलझाए जा सकते हैं। इस तरीके से राष्ट्रीय एकता और स्थिरता और तिब्बती एवं अन्य राष्ट्रीयताओं के बीच शांतिपूर्ण संबंध कायम किया जा सकता है।

२. तिब्बती राष्ट्रीयता की अखंडता एवं सम्पूर्णता के लिए सम्मान

वर्तमान प्रशासनिक विभाजनों के बावजूद तिब्बती एक अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता से जुड़े हैं। तिब्बतियों के राष्ट्रीयता के इस अखंडता का सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। क्षेत्रीय स्वायत्तता की राष्ट्रीय संवैधानिक अवधारणा और साथ ही साथ राष्ट्रीयताओं की समानता के सिद्धांत में भी यही भावना, उद्देश्य और तत्व निहित है।

इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि सभी तिब्बतियों की भाषा, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराएं, प्रमुख मूल्य एवं रीति-रिवाज एक हैं, वे एक जातीय समूह से

जुड़े हैं और उनके बीच साझा पहचान की प्रबल चेतना है। तिब्बतियों का एक साझा इतिहास है और राजनीतिक या प्रशासनिक विभाजनों के कई दौर के बावजूद तिब्बती अपने धर्म, संस्कृति, शिक्षा, भाषा, जीवनचर्या और अपने विशिष्ट ऊंचे पठारी पर्यावरण के माध्यम से लगातार संगठित बने हुए हैं। तिब्बती नागरिकता तिब्बती पठार के एक आपस में जुड़े हुए क्षेत्र में निवास करती है, इस क्षेत्र में वे हजारों साल से निवास कर रहे हैं और इसलिए वे देशज कहे जाते हैं।

राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता के संवैधानिक सिद्धांतों के लिहाज से भी देखें तो वास्तव में चीन जनवादी गणतंत्र में रहने वाले सभी तिब्बती समूचे तिब्बती पठार पर एक नागरिकता के रूप में हैं। इन वजहों से ही चीन ने तिब्बती नागरिकता को ५५ अल्पसंख्यक नागरिकताओं में से एक माना है।

३. तिब्बती आकांक्षाएं

तिब्बतियों का एक समृद्ध और अलग इतिहास, संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपराएं हैं और ये सब मानवता के विरासत के कीमती हिस्से हैं।

तिब्बती अपने हृदय में संजोए हुए अपने विरासत का न केवल संरक्षण करना चाहते हैं, बल्कि वे अपनी संस्कृति, आध्यात्मिक जीवन और जानकारियों का इस तरीके से और विकास करना चाहते हैं जो खासतौर पर २१वीं शताब्दी में मानवता की जरूरतों और दशाओं के अनुकूल हो।

एक बहुराष्ट्रीय देश चीन जनवादी गणतंत्र के एक हिस्से के रूप में तिब्बती वहां हो रहे तेज आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं। हम इस विकास में सक्रियता से भागीदारी एवं योगदान करना चाहते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह सब तिब्बती पहचान, संस्कृति और प्रमुख मूल्यों को खत्म किए बिना हो और उस तिब्बती पठार के नाजुक पर्यावरण के विनाश के बिना हो जो तिब्बतियों की भूमि है।

तिब्बत की परिस्थिति की विशिष्टता को चीन में लगातार स्वीकार किया जाता रहा है और '१७ बिंदु समझौत' और चीन के नेताओं के बयानों एवं नीतियों से भी यह प्रकट होता रहा है। इसलिए इस विशिष्टता को ही चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर तिब्बती नागरिकता को दिए जाने वाले विशिष्ट स्वायत्तता की पहुंच और उसका ढांचा परिभाषित करने का आधार बनाना चाहिए। संविधान में यह बुनियादी सिद्धांत प्रतिबिंबित है कि खास परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए लचीलापन दिखाया जाएं, इनमें अल्पसंख्यक नागरिकताओं की जरूरतें और विशिष्ट लक्षण भी शामिल हैं।

चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर ही तिब्बती नागरिकों की समस्याओं का हल तलाशने की परम पावन दलाई लामा की प्रतिबद्धता साफ और सुस्पष्ट है। उनका यह नजरिया सर्वोच्च नेता डेंग जियोपिंग के उस बयान के भी पूरी तरह अनुकूल और मानने वाला है जिसमें उन्होंने जोर दिया था कि स्वतंत्रता के अलावा अन्य सभी मसलों को बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है।

इसलिए हम चीन की क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध तो हैं हीं, साथ ही यह उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार तिब्बती नागरिकता की एकता और चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर वास्तविक स्वायत्तता हासिल करने के उसके अधिकार को मान्यता दे और उसका पूरा सम्मान करे। हम मानते हैं कि हमारे बीच के मतभेदों को दूर करने का यही आधार है और इससे विभिन्न नागरिकताओं के बीच एकता, स्थिरता और सामजंस्य कायम किया जा सकता है।

तिब्बती यदि चीन के भीतर एक विशिष्ट नागरिकता के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह से आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तरक्की और विकास करना होगा जो चीन और पूरी दुनिया में हुए विकास से मेल खा सके। साथ ही, उन्हें इस प्रकार के विकास के लिए तिब्बती विशिष्टताओं का सम्मान और पोषण भी करना होगा। ऐसा होने के लिए यह जरूरी है कि स्वयं पर शासन के तिब्बतियों के अधिकार को मान्यता दी जाए और इसे तिब्बती नागरिकता की अपनी जरूरतों, प्राथमिकताओं और विशिष्टताओं के अनुसार उस पूरे क्षेत्र में लागू किया जाए जहां वे एक सघन समुदाय के रूप में निवास करते हैं। तिब्बती संस्कृति एवं पहचान का संरक्षण और संवर्द्धन तिब्बती जनता ही कर सकती है, कोई और नहीं।

इसलिए तिब्बतियों को अपनी सहायता, अपना विकास करने और खुद शासन चलाने में सक्षम होना चाहिए। इन सबके और तिब्बत के लिए केंद्रीय सरकार और अन्य प्रांतों के जरूरी मार्गदर्शन एवं सहायता के बीच अच्छा संतुलन कायम करने की जरूरत होगी।

४. तिब्बतियों की बुनियादी जरूरतें स्वशासन के विषय

१) भाषा

तिब्बती जनता की पहचान के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तिब्बती भाषा संचार का प्राथमिक साधन है, इस भाषा में ही उनका साहित्य, उनके आध्यात्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक कार्य लिखित हैं। व्याकरण की दषष्टि से तिब्बती

भाषा न सिर्फ संस्कृति जैसी उच्च स्तर की है, बल्कि यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका संस्कृत से अनुवाद लेशमात्र भी गलती के बिना किया जाता है। इसलिए तिब्बती भाषा में न केवल सबसे समृद्ध और सबसे अच्छी तरह अनुवाद होने वाले साहित्य रचे गए हैं, बल्कि कई विद्वानों का तो यह भी कहना है कि इसमें सबसे समृद्ध और सबसे ज्यादा साहित्यिक रचनाएं की गई हैं। चीन के संविधान की धारा ४ में सभी नागरिकताओं को इस बात की गारंटी दी गई है कि उन्हें 'अपनी बोली और लिखी जाने वाली भाषाओं के उपयोग और विकास की आजादी होगी।' तिब्बती यदि अपनी भाषा का उपयोग एवं विकास करना चाहते हैं तो उन्हें चीन में बोली और लिखी जाने वाली मुख्य भाषा का भी सम्मान करना होगा।

संविधान की धारा १२१ में इस सिद्धांत को व्यापक तौर पर मान्यता दी गई है, "राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र के अंगों को स्थानीय तौर पर आम तौर पर बोली या लिखी जाने वाली भाषा को लागू करना होगा।" क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता पर कानून (एलआरएनए) की धारा १० में कहा गया है कि इन अंगों को, "अपने क्षेत्र के नागरिकों को अपनी बोली और लिखी जाने वाली भाषा के उपयोग और विकास का अवसर देना चाहिए।"

तिब्बती क्षेत्र में तिब्बती भाषा को मुख्य भाषा के रूप में मान्यता देने के सिद्धांत के साथ ही एलआरएनए (धारा ३६) स्वायत्त सरकार के अधिकारियों को यह निर्णय करने का अधिकार देता है कि "शिक्षा से संबंधित निर्देशों और नामांकन प्रक्रिया में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका निर्णय वे करें।"

इससे इस सिद्धांत को मान्यता मिलती है कि शिक्षा का प्रमुख माध्यम तिब्बती होगा।

२) संस्कृति

क्षेत्रीय स्वायत्तता की राष्ट्रीय अवधारणा प्राथमिक रूप से अल्पसंख्यक नागरिकताओं की संस्कृति के संरक्षण के लिए बनायी गयी है। इसलिए चीन जनवादी गणतंत्र के संविधान की धारा २२, ४७ एवं ११९ और साथ ही एलआरएनए की धारा ३८ में संस्कृति के संरक्षण की बात की गयी है। हम तिब्बतियों के लिए तिब्बती संस्कृति हमारे धर्म, परंपरा, भाषा और पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है और इस सबको विभिन्न स्तरों पर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बती जनता चीन जनवादी गणतंत्र के बहुराष्ट्रीय राज्य के भीतर निवास करती है इसलिए अलग तरह की तिब्बती सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण समुचित संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा करने की जरूरत है।

३) धर्म

धर्म तिब्बतियों की बुनियाद है और बौद्ध धर्म उनकी पहचान से गहराई से जुड़ा है। हम इस बात के महत्व को स्वीकार करते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए, लेकिन इससे हमारी स्वतंत्रता और धर्म को मानने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। धार्मिक विश्वास, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के बिना तिब्बती व्यक्तिगत या सामुदायिक स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते। संविधान में धर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है और इसे खुलकर अपनाने वालों का भी संरक्षण किया गया है।

संविधान की धारा ३६ के द्वारा सभी नागरिकों को धार्मिक विश्वास के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। कोई भी किसी को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि वह किसी धर्म में विश्वास करे या न करे। धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव वर्जित है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के आलोक में संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या में भी विश्वास या पूजा के तरीके की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इस स्वतंत्रता के तहत बौद्ध मठों की परंपरा के अनुसार मठों की स्थापना और संचालन, शिक्षण और अध्ययन कार्य करना, इन नियमों के आधार पर कितनी भी संख्या में या किसी भी आयु के भिक्षुओं और ननों की भर्ती करना आदि शामिल हैं। इस स्वतंत्रता के तहत ही सार्वजनिक रूप से प्रवचन की सामान्य परंपरा और बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाने के अधिकार की भी रक्षा होती है। इसलिए राज्य को किसी गुरु और शिष्य के बीच संबंध, मठों से जुड़ी संस्थाओं के प्रबंधन और पुनर्जन्म को मान्यता जैसी धार्मिक प्रचलन एवं परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए।

४) शिक्षा

तिब्बती लोग केंद्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग एवं समन्वय के द्वारा खुद की शिक्षा प्रणाली का विकास और प्रबंधन करना चाहते हैं और उनकी इस इच्छा का समर्थन संविधान में निहित शिक्षा से जुड़े सिद्धांतों में भी किया गया है। इसी प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में लगने या उसमें योगदान करने का भी समर्थन किया गया है। हमने यह देखा है कि बौद्ध मनोविज्ञान, मेटाफिजिक्स, ब्रह्मांड विज्ञान और मस्तिष्क की समझ ने आधुनिक विज्ञान को विकसित होने में जो योगदान किया है उसकी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक विकास में मान्यता बढ़ती जा रही है।

संविधान की धारा ११६ के तहत राज्य अपने सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, तो धारा ११६ इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि, "राष्ट्रीय स्वायत्तशासी क्षेत्रों की स्वायत्त सरकार अपने क्षेत्रों में शैक्षणिक मामलों को स्वतंत्र तरीके से प्रबंधित कर सकती है।" एलआरएन की धारा ३६ में भी यह सिद्धांत प्रदर्शित होता है।

हालांकि निर्णय लेने के मामले में किस हद तक स्वायत्तता होगी यह साफ नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि तिब्बतियों को अपनी राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने में वास्तविक स्वायत्तता मिले और संविधान में स्वायत्तता के सिद्धांतों में भी इसका समर्थन किया गया है।

जहां तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान करने की आकांक्षा की बात है, संविधान की धारा ११६ और एलआरएन की धारा ३६ में साफ तौर पर इस बात को मान्यता दी गई है कि स्वायत्तशासी क्षेत्रों के लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कर सकते हैं।

५) पर्यावरण संरक्षण

तिब्बत एशिया की महान नदियों का मुख्य स्रोत है। वहां पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, साथ ही साथ दुनिया का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा पठार भी है। तिब्बत देश प्रचुर खनिज संसाधनों, प्राचीन वनों और कई ऐसी गहरी घाटियों से भरा पड़ा है जो मानवीय हलचलों से दूर है।

पर्यावरण संरक्षण का यह प्रचलन तिब्बती लोगों के जीवन के सभी रूपों में निहित पर्यावरण के प्रति सम्मान की परंपरा से बढ़ता रहा है, जिसमें सभी प्राणियों को नुकसान पहुंचाना वर्जित है, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर। तिब्बत को एक विशिष्ट प्राकृतिक पर्यावरण में अछूते सुनसान अभयारण्य के रूप में देखा जाता था।

आज तिब्बत के परंपरागत पर्यावरण को इस तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इन सबका प्रभाव खासतौर से घास के मैदानों, फसली खेतों, जंगलों, जल संसाधनों और वन्यजीवन में देखा जा सकता है।

यह सब देखते हुए एनएनआर की धारा ४५ और ६६ के अनुसार तिब्बती लोगों को अपने पर्यावरण पर अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें इस बात की इजाजत देनी चाहिए वे पर्यावरण संरक्षण के अपने पारंपरिक चलन को जारी रख सकें।

६) प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

प्राकषतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं प्रबंधन और प्राकषतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में संविधान और एलआरएन में स्वायत्तशासी सरकार के अंगों की केवल सीमित भूमिका को ही स्वीकार किया गया है (एलआरएन की धारा २७, २८, ४५, ६६ और संविधान की धारा ११८ देखें जिसमें यह वायदा किया गया है कि "राज्य को स्वायत्तशासी क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखना चाहिए)।

स्वायत्तशासी क्षेत्र द्वारा वनों और घास के मैदानों के संरक्षण एवं विकास के महत्व को एलआरएनए में मान्यता दी गई है (धारा २७) और कहा गया है कि "स्थानीय प्रशासन जिन प्राकषतिक संसाधनों का विकास करता है उनके तार्किक दोहन और उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यह केवल राज्य की योजनाओं और कानूनी नियमों के दायरे में ही किया जा सकता है। वास्तव में इन मामलों में राज्य की केंद्रीय भूमिका को संविधान में भी प्रकट (धारा ९) किया गया है।

हमारा मानना है कि संविधान में स्वायत्तता के जिन सिद्धांतों को जगह दी गई है उनके बल पर वास्तव में तिब्बती अपने भाग्य के नियंता खुद नहीं बन सकते जब तक कि उन्हें खनिज संसाधनों, जल, वनों, पर्वतों, घास के मैदानों आदि के उपयोग के मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल नहीं किया जाता।

प्राकृतिक संसाधनों और किसी अर्थव्यवस्था के लिए करों एवं राजस्व का विकास इसी बुनियाद पर हो सकता है कि जमीन का मालिकाना हक मिले। इसलिए यह जरूरी है कि किसी जमीन के हस्तांतरण या लीज पर देने का कानूनी अधिकार सिर्फ स्वायत्तशासी क्षेत्र की राष्ट्रीयता वाले नागरिकों को मिले, सिवाय उन मामलों के जब जमीन राज्य की हो। इसी प्रकार केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुरूप ही स्वायत्तशासी क्षेत्र में भी ऐसे स्वतंत्र प्राधिकरण होने चाहिए जो विकास योजना तैयार एवं लागू कर सकें।

७) आर्थिक विकास और व्यापार

तिब्बत में आर्थिक विकास का स्वागत किया जाना चाहिए और यह बहुत जरूरी है। चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर तिब्बती जनता आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े वर्गों में से है। संविधान में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि स्थानीय लक्षणों और जरूरतों को देखते हुए स्वायत्तशासी प्रशासन को अपने क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी (संविधान की धारा११८, एलआरएन की धारा २५

में भी यही संकेत)। संविधान में वित्तीय मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के मामले में भी स्वायत्तता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है (धारा ११७ और एलआरएन की धारा ३२)। संविधान स्वायत्तशासी क्षेत्र में तेज विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा फंड देने और सहयोग करने के महत्व को भी प्रकट करता है (धारा १२२, एलआरएन की धारा २२)।

इसी प्रकार एलआरएन की धारा ३१ में स्वायत्तशासी क्षेत्रों, खासकर तिब्बत जैसे क्षेत्रों की इस क्षमता को मान्यता दी गई है कि वे सीमा व्यापार और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ व्यापार कर सकें। इन सिद्धांतों को मान्यता तिब्बती राष्ट्रीयता के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र कई देशों से सटा हुआ है और उन देशों के लोगों के साथ इसके सांस्कृतिक, धार्मिक, नस्लीय और आर्थिक जुड़ाव हैं। केंद्र सरकारों और प्रांतों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग का फायदा अस्थायी ही होगा, लेकिन दीर्घकालिक तौर पर यदि तिब्बती लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे और दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे तो इसका बहुत नुकसान होगा। इस प्रकार स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह भी है कि तिब्बती लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए।

८) जन स्वास्थ्य

संविधान में कहा गया है कि नागरिकों को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं देने की जिम्मेदारी राज्य की होगी (धारा २१)। धारा ११९ में कहा गया है कि यह स्वायत्तशासी क्षेत्र की भी जिम्मेदारी होगी। एलआरएनए की धारा ४० में यह भी कहा गया है कि स्वायत्तशासी क्षेत्र में स्वशासन के अंगों को "स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और आधुनिक एवं राष्ट्रीयताओं के पारंपरिक, दोनों तरह की औषधियों के विकास के लिए योजना बनाने हेतु निर्णय लेने की आजादी होगी।"

तिब्बत में जो स्वास्थ्य व्यवस्था फिलहाल मौजूद है वह ग्रामीण जनसंख्या की जरूरतों को समुचित रूप से पूरा कर पाने में नाकाम रही है। उपरोक्त वर्णित कानूनों के सिद्धांतों के अनुसार क्षेत्रीय स्वायत्तशासी विभागों मे इतनी क्षमता और संसाधन होने चाहिए कि वे समूची तिब्बती जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। उन्हें इसमें भी सक्षम होना चाहिए कि पूरी तरह पारंपरिक प्रचलन के अनुसार पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा और एस्ट्रो प्रणाली का विकास कर सकें।

९) जन सुरक्षा

जन सुरक्षा के मामले में यह महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा कर्मियों का बहुसंख्यक हिस्सा

स्थानीय समुदाय से हो जो स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं से वाकिफ हो और उनका सम्मान करता हो। तिब्बती क्षेत्र में हालत यह है कि निर्णय लेने वाले अधिकार स्थानीय तिब्बतियों के हाथ में नहीं है।

स्वायत्तता और स्वशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्वायत्तशासी क्षेत्रों में आंतरिक नागरिक व्यवस्था और और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। संविधान की धारा १२० और एलआरएन की धारा २४ में इस बात का महत्व स्वीकार किया गया है कि "राज्य की सैनिक व्यवस्था, व्यावहारिक जरूरतों और राज्य परिषद की मंजूरी के साथ" सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय भागीदारी हो और स्वायत्त क्षेत्र को प्राधिकार दिया जाए।

१०) जनसंख्या के हस्तांतरण संबंधी नियम

राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्वशासन का बुनियादी लक्ष्य अल्पसंख्यक पहचान, संस्कृति, भाषा और अन्य जुड़ी चीजों की पहचान का संरक्षण करना और यह सुनिश्चित करना है कि ये लोग अपने मामलों के मालिक हों। जब किसी ऐसे खास क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता की व्यवस्था लागू की जाती है जहां अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता के लोग एक संकेंद्रित समुदाय या समुदायों के रूप में रहते हैं तो मूल सिद्धांत और उद्देश्य का ही अनादर होगा यदि बड़े पैमाने पर वहां बहुसंख्यक हान राष्ट्रीयता और अन्य राष्ट्रीयताओं के स्थानांतरण और बसने को प्रोत्साहित किया जाता है या उसकी इजाजत दी जाती है। इस प्रकार के स्थानांतरण से जो बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव होते हैं उससे तिब्बती राष्ट्रीयता के हान राष्ट्रीयता से एकीकरण की जगह अलगाव को ही बढ़ावा मिलेगा और धीरे-धीरे तिब्बती राष्ट्रीयता की विशिष्ट संस्कषति एवं पहचान का लोप हो जाएगा।

साथ ही, तिब्बती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हान और अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों के अंतर्प्रवाह से क्षेत्रीय स्वायत्ता की व्यवस्था को लागू करने के लिए जरूरी शर्तों में बुनियादी बदलाव आ जाएगा। जनसंख्या के भारी हस्तांतरण और आवाजाही से स्वायत्तता हासिल करने का यह संवैधानिक मानदंड भी खत्म हो जाएगा कि ऐसा क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता "सघन समुदाय" के रूप में रहती हो। यदि इस प्रकार के आव्रजन और बस्तियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो तिब्बती लोग बहुत दिनों तक एक सघन समुदाय या समुदायों के रूप में नहीं रह पाएंगे और तब उन्हें संविधान के तहत राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता का भी लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे

राष्ट्रीयता के मसले पर रवैए के मामले में संविधान के मूल सिद्धांतों का प्रभावी तौर पर उल्लंघन होगा।

चीन जनवादी गणतंत्र में पहले यह उदाहरण देखे गए हैं कि नागरिकों के कहीं बसने या उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन स्वायत्तशासी क्षेत्रों के इस अधिकार को बहुत कम स्वीकार किया गया है कि इन क्षेत्रों में "अस्थायी जनसंख्या" के बसने पर नियंत्रण के लिए वह कोई उपाय कर सकें।

हमारे लिए यह काफी महत्वपूर्ण होगा कि स्वशासन के स्वायत्त अंगों को ऐसे व्यक्तियों के आवास, बस्ती बनाने और रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों में लगने के मामलों को विनियमित करने का अधिकार हो जो चीन के अन्य हिस्सों से तिब्बती क्षेत्र में जाना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्वायत्तता के सिद्धांतों का लक्ष्य व्यावहारिक रूप से पूरा हो।

हमारा इरादा यह नहीं है कि तिब्बत में स्थायी तौर पर बस चुके उन गैर तिब्बतियों को बाहर निकालने का नहीं है जो काफी समय से वहां रह रहे हैं और वहीं पले-बढ़े हैं। हमारी चिंता तिब्बत के कई क्षेत्रों में मुख्यतः हान और कई अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों के भारी पैमाने पर स्थानांतरण को लेकर है जिससे मौजूदा समुदाय विचलित हो रहे हैं, तिब्बती जनसंख्या हाशिए पर जा रही है और नाजुक प्राकृतिक पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है।

११) अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक आदान-प्रदान

तिब्बती राष्ट्रीयता के चीन के अन्य राष्ट्रीयताओं, प्रांतों एवं क्षेत्रों के साथ स्वायत्तता के विषयों जैसे संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, जन स्वास्थ्य, खेल, धर्म पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आदि के मामलों में आदान-प्रदान एवं सहयोग तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही स्वायत्तशासी क्षेत्र को यह अधिकार भी देना चाहिए कि वह इस प्रकार का आदान-प्रदान अपने पड़ोस के अन्य देशों से भी कर सके जैसा कि एलआरएनए की धारा ४२ में भी कहा गया है।

५. पीआरसी में तिब्बती राष्ट्रीयता के लिए एक प्रशासन का आवेदन

तिब्बती राष्ट्रीयता ऊपर वर्णित बुनियादी तिब्बती जरूरतों के आधार पर स्वशासन लागू करने के लिए अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का

विकास और पोषण कर सके इसके लिए यह जरूरी है कि चीन जनवादी गणतंत्र द्वारा तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के रूप में निर्धारित समूचे क्षेत्र के पूरे समुदाय को एक प्रशासनिक इकाई के अंदर लाया जाए।

चीन के विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के रूप में तिब्बती समुदाय पर फिलहाल जिन प्रशासनिक विभाजनों द्वारा शासन किया जा रहा है, वह मूर्खतापूर्ण तरीके से विघटन पैदा करने वाला है, असमान विकास को बढ़ावा देता है और साझा संस्कृति, अध्यात्म एवं नस्लीय पहचान के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के मामले में तिब्बती राष्ट्रीयता की क्षमता को कमजोर करता है। राष्ट्रीयताओं के एकीकरण का सम्मान करने की जगह यह नीति उनमें विघटन को बढ़ावा देती है और स्वायत्तता की भावना का असम्मान करती है।

उग्योर एवं मंगोल जैसे अन्य बड़े अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं को जहां पूरी तरह अपने एक स्वायत्तशासी क्षेत्र के भीतर शासित करने का अधिकार है वहीं तिब्बती लोगों को ऐसा बनाए रखा गया है जैसे वे एक नहीं बल्कि कई अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं हैं।

वर्तमान निर्धारित तिब्बती स्वायत्तशासी क्षेत्र में रहने वाले सभी तिब्बतियों को एक स्वायत्त प्रशासन के भीतर लाना पूरी तरह से संविधान की धारा ४ और एलआरएन की धारा २ में वर्णित इस सिद्धांत के अनुरूप है कि, "क्षेत्रीय स्वायत्तता उन क्षेत्रों में लागू की जाएगी जहां अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता के लोग सघन समुदायों के रूप में रहते हों।"

एलआरएन राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता को "चीन में राष्ट्रीय मसलों को हल करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्वीकार की गई बुनियादी नीति" माना है और अपनी प्रस्तावना में इसके अर्थ एवं आशय की व्याख्या इस प्रकार की है:

एकीकृत केंद्रीय नेतृत्व के तहत ऐसे क्षेत्रों के अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं को क्षेत्रीय स्वायत्तता का लाभ मिलेगा जो उस क्षेत्र में सघन समुदायों के रूप में रह रहे हों और वे स्वायत्तता का अधिकार लागू करने के लिए स्वशासन के विभिन्न अंगों का गठन कर सकेंगे।

क्षेत्रीय स्वायत्तता में यह बात भी शामिल है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के अपने आंतरिक मामलों को प्रशासित करने के अधिकार के लिए मिली गारंटी का पूर्ण सम्मान करेगी और समानता, एकता और सभी राष्ट्रीयताओं की साझा समृद्धि के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेगी।

यह बात साफ है कि पीआरसी के भीतर तिब्बती राष्ट्रीयता को खुद पर शासन करने और आंतरिक मामलों को प्रशासित करने का अधिकार हासिल करने में प्रभावी तौर अधिकार क्षेत्र समूची तिब्बती राष्ट्रीयता पर एक साथ हो।

एलआरएनए इस सिद्धांत को भी मान्यता प्रदान करता है कि राष्ट्रीय स्वायत्तशासी क्षेत्रों की सीमाओं में सुधार करने की जरूरत है। तिब्बती राष्ट्रीयता की एकता के सम्मान के माध्यम से क्षेत्रीय स्वायत्तता के बारे में संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के पालन करने की जरूरत न केवल पूरी तरह वैधानिक है, बल्कि इसे हासिल करने लिए जरूरी प्रशासिनक बदलाव किसी तरह से भी संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते। पहले ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जब ऐसा वास्तव में किया गया है।

६. स्वायत्तता की प्रकृति और ढांचा

पूर्वगत विषयों के मामले में किस सीमा तक खुद की सरकार और खुद के प्रशासन का अधिकार लागू किया जा सकता है यह काफी हद तक तिब्बती स्वायत्तता के वास्तविक चरित्र पर निर्भर करता है। इसलिए इस समय कार्य यह देखना है कि स्वायत्तता को किस प्रकार से लागू और नियंत्रित किया जा सकता है कि यह तिब्बती राष्ट्रीयता की बुनियादी जरूरतों और विशेष परिस्थिति को प्रभावी तरीके से ध्यान रख सके।

वास्तविक स्वायत्तता को लागू करने में तिब्बतियों को यह अधिकार शामिल होगा कि वे अपने लिए ऐसी क्षेत्रीय सरकार, सरकारी संस्थाओं और कार्यप्रणाली का विकास कर सकें जो उनकी जरूरतों और विशिष्टताओं के बिल्कुल अनुकूल हो।

इसमें इस बात की जरूरत होगी कि स्वायत्तशासी क्षेत्र के पीपुल्स कांग्रेस को क्षेत्र की क्षमताओं के भीतर (ऊपर वर्णित विषयों) सभी मामलों में कानून बनाने का अधिकार हो और स्वायत्तशासी सरकार के अन्य अंग सभी निर्णयों को स्वायत्त रूप से लागू और प्रशासित कर सकें।

स्वायत्तता के लिए यह भी जरूरी है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों में प्रतिनिधित्व और सार्थक भागीदारी हो। स्वायत्तता को प्रभावी बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि साझा हितों के मामले में केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच प्रभावी परामर्श, गहन सहयोग या संयुक्त रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया चलती रहे।

वास्तविक स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि स्वायत्तशासी क्षेत्र को संविधान या अन्य कानूनों के द्वारा जिन शक्तियों और जिम्मेदारियों की गारंटी दी गई है उसे एकपक्षीय तरीके से बदला या नेस्तनाबूद न किया जा सके। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार या स्वायत्तशासी क्षेत्र की सरकार, कोई भी एक-दूसरे की सहमति के बिना स्वायत्तता की बुनियादी विशेषताओं में बदलाव करने में सक्षम न हो।

तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता का मानदंड और विशिष्टताएं जो तिब्बती लोगों और क्षेत्र की अलग तरह की जरूरतों और दशाओं के अनुकूल हों उन्हें स्वायत्तता को लागू करने के नियमों में विस्तार से दिया गया हो, जैसा कि संविधान की धारा ११६ में दिया गया है (एलआरएन की धारा १६ मे जिनका विधान है), यदि ज्यादा उपयुक्त लगे तो इसके लिए अलग से कानून या नियम बनाए जा सकते हैं। संविधान में (धारा ३१ के साथ) तिब्बत जैसी विशिष्ट अवस्था के लिए खास कानून बनाने की छूट दी गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का सम्मान किया जाएगा।

संविधान का खंड ६ राष्ट्रीय स्वायत्तशासी क्षेत्र में स्वशासन के अंगों की व्यवस्था करता है और यह भी स्वीकार करता है कि उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। इस प्रकार धारा ११६ (एलआरएन की धारा १६) भी उनके इस अधिकार से जुड़ा है कि वे "क्षेत्र की नागरिकता या नागरिकताओं की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लक्षणों को देखते हुए अलग से कानून बना सकें।"

इसी प्रकार संविधान में कई क्षेत्रों (धारा ११७-१२०) स्वायत्त प्रशासन के अधिकार को मान्यता दी गई है और साथ ही साथ स्वायत्त सरकार के इस अधिकार को भी स्वीकार किया गया है कि केंद्र सरकार और सरकार के अन्य उच्च्व विभागों के कानूनों एवं नीतियों को लागू करने के मामले में इस प्रकार का लचीलापन बरते ताकि वह स्वायत्तशासी क्षेत्र की दशा के अनुकूल हो (धारा ११५)।

ऊपर वर्णित कानूनी प्रावधानों से स्वायत्त सरकार के अंगों में निर्णय लेने वाले अधिकारियों पर पर्याप्त अंकुश लगता है। इसके बावजूद संविधान इन सिद्धांतों को मान्यता दी गई है कि स्वशासन के अंग ऐसे कानून या नीतियां बना सकेंगे जो स्थानीय जरूरतों का समाधान कर सकें और यह कानून केंद्रीय सरकार सहित अन्य जगहों पर लागू कानून से भिन्न हो सकते हैं। हालांकि तिब्बती लोगों की जरूरतें व्यापक तौर पर संविधान में दिए गए स्वायत्तता के सिद्धांतों के काफी अनुकूल हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि इनको हासिल कर पाने में कई तरह की समस्याओं की वजह से

अड़चनें आई हैं। इन समस्याओं की वजह से ही उक्त सिद्धांतों को लागू करना आज काफी कठिन या अप्रभावी हो चुका है।

उदाहरण के लिए वास्तविक स्वायत्तता को लागू करने के लिए इस बात की जरूरत है कि जिन मामलों में टकराव होने की गुंजाइश हो उनमें केंद्र सरकार और स्वायत्तशासी क्षेत्र की सरकार के बीच अधिकारों एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन हो।

फिलहाल इस प्रकार की स्पष्टता नहीं है और स्वायत्तशासी क्षेत्र के लिए विधायी शक्तियों की संभावना अनिश्चित तो है ही, यह काफी सीमित भी है। इस प्रकार जहां संविधान यह चाहता है कि स्वायत्तशासी क्षेत्रों को उन मसलों पर कानून बनाने की जरूरतों को मान्यता दी जाए जो उनको प्रभावित करते हैं, वहीं इसके लिए पहले केंद्रीय सरकार से उच्च स्तर पर (नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीसी की स्थायी समिति) मंजूरी हासिल करने की धारा ११६ की शर्त स्वायत्तता के सिद्धांतों को लागू करने की व्यवस्था को सीमित कर देती है। व्यावहारिक तौर पर केवल स्वायत्तशासी क्षेत्र की क्षेत्रीय विधायिका को ही इस प्रकार की मंजूरी लेनी पड़ रही है, जबकि चीन के गैर स्वायत्तशासी क्षेत्रों के सामान्य प्रांतों की विधायिका को पहले से ऐसी मंजूरी की जरूरत नहीं है वे सिर्फ अपने कानूनों के अंश को रिकॉर्ड के लिए एनपीसी की स्थायी समित को भेज देते हैं। (धारा १००) इसके अलावा संविधान की धारा ११५ के अनुसार स्वायत्तता की व्यवस्था को लागू करने में बहुत से अन्य कानूनों और नियमों का पालन करना होगा। कई तरह के ऐसे कानून हैं जो प्रभावी तौर पर स्वायत्तशासी क्षेत्र की स्वायत्तता को सीमित करते हैं, जबकि कई अन्य ऐसे कानून हैं जो एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। इसका परिणाम यह है कि स्वायत्तता की सही गुंजाइश साफ नहीं है और निश्चित भी नहीं है क्योंकि केंद्र में उच्च स्तर पर किसी भी कानून या नियम के लागू करने से इसमें पूरी तरह बदलाव आ सकता है। केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच स्वायत्तता की गुंजाइश और उसे लागू करने के मामले में उठने वाले विवादों को निपटाने या सलाह देने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। व्यवहारिक रूप में इससे जो अनिश्चितता पैदा होती है वह क्षेत्रीय प्रशासन के पहल को सीमित कर देती है और तिब्बतियों मिलने वाले वास्तविक स्वायत्तता के पालन को बाधित करती है।

इस समय हम इस सबके बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहते कि आज तिब्बतियों को वास्तविक स्वायत्तता को लागू करने के मामले में कितनी तरह की अड़चनें आ

रही हैं, लेकिन इनका उल्लेख ऐसे उदाहरणों में करना चाहते हैं ताकि भविष्य में हमारे बीच होने वाली वार्ताओं में उनका समाधान पर्याप्त तरीके से किया जा सके।

हम संविधान और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का अध्ययन जारी रखेंगे जब भी उपयुक्त होगा अपनी समझ के हिसाब से और विश्लेषण उपलब्ध करना चाहेंगे।

७. आगे का रास्ता

जैसा कि हमने इस ज्ञापन के प्रारंभ में ही कहा है, हमारा इरादा यह संभावनाएं तलाशना है कि चीन जनवादी गणतंत्र के ढांचे के भीतर तिब्बती राष्ट्रीयता की जरूरतों को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है क्योंकि हमारा यह मानना है कि ये जरूरतें सविधान में वर्णित स्वायत्तता के सिद्धांतों के अनुरूप ही हैं। जैसा कि परम पावन दलाई लामा कई अवसरों पर कह चुके हैं, हमारा कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि स्वायत्तता के किसी समझौते का लाभ उठाकर चीन से तिब्बत को अलग करने की तरफ बढ़ें।

निर्वासित तिब्बती सरकार का भी लक्ष्य तिब्बती जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना और उनकी तरफ से अपनी बात रखना है। इसलिए एक बार जब हमारे बीच कोई समझौता हो जाता है तो इस सरकार की जरूरत नहीं रहेगी और इसे भंग कर दिया जाएगा। तथ्य तो यह है कि परम पावन दलाई लामा ने कई बार अपना यह निर्णय दोहराया है कि तिब्बत में कभी भी कोई भी राजनीतिक पद स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि, परम पावन दलाई लामा की योजना इस प्रकार के किसी समझौते तक पहुंचने में अपना पूरा व्यक्तिगत प्रभाव लगा देने की है लेकिन इसे वैधानिकता देने के लिए यह जरूरी होगा कि तिब्बती जनता इसका समर्थन करे।

अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की वजह से हम यह प्रस्तावित करते हैं कि समझौते की प्रक्रिया के लिए अगला चरण यह होगा कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा शुरू की जाए। इस उद्देश्य से हम यह भी प्रस्तावित करते हैं कि इसे प्रभावी तौर पर करने के लिए हम एक परस्पर स्वीकार्य तंत्र या तंत्रों के बारे में चर्चा कर उन पर सहमति बना सकते हैं।

परम पावन चौदहवें दलाई लामा द्वारा यूरोपीय संसद के पूर्ण सत्र को संबोधन

महामहिम राष्ट्रपति महोदय, संसद के माननीय सदस्य गण, भाइयों एवं बहनों, आज आपके सामने कुछ बोलना मेरे लिए परम सम्मान की बात है और आपने मुझे यहां बुलाया इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां भी मैं जाता हूं मेरी प्रमुख रुचि या प्रतिबद्धता सहृदयता जैसे मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने की होती है-जो कि मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत स्तर, पारिवारिक स्तर या सामुदायिक स्तर पर खुशहाल जीवन के लिए प्रमुख घटक है। आधुनिक समय में ऐसा लगता है कि इन आंतरिक मूल्यों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इन्हें बढ़ावा देना मेरी पहली प्राथमिकता है।

मेरी दूसरी रुचि या प्रतिबद्धता अंतर-धार्मिक सामंजस्य को बढ़ावा देना है। हम सब राजनीति और लोकतंत्र में बहुलवाद की जरूरत को स्वीकार करते हैं, लेकिन विश्वासों और धर्मों की बहुलता के बारे में हम अक्सर ज्यादा हिचक दिखाते हैं। अपने धारणाओं और दर्शनों के बावजूद दुनिया की सभी प्रमुख धार्मिक परंपराओं में प्रेम, करुणा, सहनशीलता, संतोष और आत्मानुशासन का ही संदेश दिया गया है। इसी प्रकार मानव को खुशहाल जीवन जीने में मदद करने के मामले में इनमें समान क्षमता है। इसलिए इन दो बातों में मेरी मुख्य रुचि या प्रतिबद्धता है।

निश्चित रूप से तिब्बत का मसला भी मेरे लिए खास चिंता का विषय है और तिब्बत के लोगों के प्रति मेरी विशेष जिम्मेदारी है, जो तिब्बत के इतिहास के इस कठिन समय में मुझमें लगातार भरोसा और उम्मीद बनाए हुए हैं। तिब्बती लोगों का कल्याण मेरे लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत रहा है और मैं अपने को निर्वासन में उनका स्वतंत्र प्रवक्ता मानता हूं।

पिछली बार मुझे २४ अक्टूबर, २००१ को यूरोपीय संसद को संबोधित करने का सौभाग्य मिला था। तब मैंने घोषित किया था, कुछ विकास और आर्थिक तरक्की के बावजूद तिब्बत लगातार अपने अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं का सामना कर रहा है। पूरे तिब्बत में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है और अक्सर यह नस्लीय एवं सांस्कषतिक भेदभाव की नीतियों की वजह से होता है। वास्तव में ये तो

केवल लक्षण मात्र हैं और इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। चीनी प्रशासन तिब्बत की भिन्न संस्कृति एवं धर्म को अलगाव के खतरे के स्रोत के रूप में देखता है। इस प्रकार जानबूझकर ऐसी नीति अपनाई जा रही है जिससे विशिष्ट संस्कषति और पहचान वाले समूचे तिब्बती लोगों के विलुप्त होने का खतरा सामने है।

इस साल मार्च से ही जनजीवन के हर क्षेत्र से जुड़े और समूचे तिब्बती पठार के तिब्बती तिब्बत में चीनी प्रशासन की भेदभावपूर्ण और दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अपने जीवन के प्रति बड़े खतरे के प्रति पूर्ण सचेत चोल्का-सुम (यू-त्सांग, खाम और आमडो) कहलाने वाले समूचे तिब्बत के तिब्बती युवा एवं वृद्ध, महिलाएं एवं पुरुष, मठों से जुड़े लोग एवं आम जनता, धर्म में विश्वास करने वाले या न करने वाले, विद्यार्थी आदि सहज रूप से एक साथ आए हैं और उन्होंने चीन सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने गुस्से, असंतोष और वाजिब शिकायतों को साहस के साथ प्रकट किया है। तिब्बती और चीनी दोनों पक्षों की तरफ लोगों की जानें जाने से मुझे गहरा दुःख हुआ और मैंने तत्काल चीनी प्रशासन से अनुरोध किया कि वे संयम बरतें।

चीनी प्रशासन ने मेरे उपर आरोप लगाया है कि हाल में तिब्बत में हुई घटनाओं का सूत्रधार मैं हूं, इसलिए मैंने लगातार यह अपील की कि एक स्वतंत्र और सम्मानित अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा इस मामले की गहन जांच की जाए और इस तरह की संस्था को मैं धर्मशाला आने का भी आमंत्रण देता हूं। इस तरह के गंभीर आरोपों के समर्थन में यदि चीन सरकार के पास कोई प्रमाण हैं तो उन्हें इसे दुनिया के सामने पेश करना चाहिए।

दुःख की बात यह है कि दुनिया के कई नेताओं, एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्वों द्वारा हिंसा को टालने और संयम बरतने की अपील के बावजूद चीनी प्रशासन ने तिब्बत की स्थिति से निपटने के लिए क्रूर तरीकों का सहारा लिया है। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में तिब्बती लोग मारे गए हैं, हजारों घायल हुए हैं और नजरबंद कर दिए गए हैं। कई लोग के बारे में तो कुछ नहीं पता चल पा रहा कि वे कहां हैं। आज मैं जब आपके सामने खड़ा हूं, तब भी तिब्बत के कई हिस्सों में भारी संख्या में सशस्त्र बल और सेना के जवान मौजूद हैं। तिब्बत के कई क्षेत्रों में पूरी तरह सैनिक शासन जैसी स्थिति है। वहां गुस्से और भय का माहौल है। तिब्बत में रहने वाला हर तिब्बती लगातार इस डर के वातावरण में जी रहा है कि न जाने कब उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तिब्बत के किसी भी हिस्से में किसी अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक, पत्रकार या पर्यटक को जाने की इजाजत नहीं है जिससे मैं तिब्बती लोगों के हालत को लेकर बहुत चिंतित हूं।

फिलहाल, चीनी प्रशासन तिब्बत में कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। हालत यह हो गई है कि कई तिब्बती नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, जो तिब्बती लोगों के जीवट को तोड़ने का प्रयास है।

यूरोपीय संसद के कई माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि संवाद और समझौते के द्वारा तिब्बती समस्या का एक परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के लिए मैं किस तरह लगातार प्रयास कर रहा हूं। इसी प्रयास के तहत १९८८ में स्ट्रासबोर्ग के यूरोपीय संसद में मैंने वार्ता का एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें तिब्बत को अलग करने या आजाद करने जैसी मांग नहीं थी। इसके बाद से चीन सरकार के साथ हमारे संबंधों में कई उतार-चढ़ाव आए।

करीब १० साल के व्यवधान के बाद २००२ में हमने चीनी नेतृत्व के साथ फिर से सीधा संपर्क कायम किया। मेरे दूतों और चीनी नेतृत्व के बीच गहन चर्चाएं हुईं। इन चर्चाओं में हमने तिब्बती जनता की आकांक्षा को स्पष्ट तौर पर रखा। मेरे मध्यम मार्ग नीति का सार यही है कि चीन जनवादी गणतंत्र के संविधान के भीतर ही तिब्बती जनता को वास्तविक स्वायत्तता दी जाए।

इस साल १ और २ जुलाई को बीजिंग में हुई सातवें दौर की वार्ता में चीन सरकार ने वास्तविक स्वायत्तता के स्वरूप के बारे में हमें अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित किया।

इसके बाद ३१ अक्टूबर, २००८ को तिब्बती जनता के लिए वास्तविक स्वायत्तता पर हमने चीनी नेतृत्व को एक ज्ञापन दिया। हमारे ज्ञापन में यह बताया गया था कि वास्तविक स्वायत्तता के बारे में हमारी क्या राय है और तिब्बती राष्ट्रवाद की स्वायत्तता और स्वशासन की बुनियादी जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है।

इन सब सुझावों के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य यह था कि तिब्बत की वास्तविक समस्याओं का समाधान हो सके। हमें पूरा विश्वास है कि हमने ज्ञापन के माध्यम से जो रास्ते बताए है, चीन सरकार सदभाव दिखाते हुए उनको लागू करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से चीन ने हमारे ज्ञापन को पूरी तरह से खारिज कर दिया और हमारे सुझावों के बारे में कहा कि वे *अर्द्ध स्वतंत्रता* और *छद्म रूप में स्वतंत्रता* हासिल करने के प्रयास हैं जिसकी वजह से उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चीनी पक्ष ने हम पर *जातीय सफाया* जैसे आरोप लगाए क्योंकि हमारे ज्ञापन में स्वायत्त क्षेत्र के इस अधिकार को मान्यता देने की मांग थी कि, 'चीन जनवादी गणतंत्र के दूसरे हिस्से से तिब्बती क्षेत्रों में आने के इच्छुक लोगों के आवास, बस्ती, रोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके।

हमने अपने ज्ञापन में साफ तौर पर कहा था कि हमारा उद्देश्य गैर तिब्बतियों को बाहर निकालना नहीं है। हमारी चिंता यह थी कि तिब्बत के कई हिस्सों में हान और कई अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों के बड़े पैमाने पर बसने से मूल तिब्बती जनसंख्या हाशिए पर जा रही है और इससे तिब्बत का नाजुक प्राकृतिक वातावरण पर भी खतरे में पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों को बसाने से हुए व्यापक जनसांख्यिकीय बदलावों से तिब्बती राष्ट्रीयता के चीन में एकीकरण की जगह विलय को ही बढ़ावा मिलेगा और इससे धीरे-धीरे तिब्बती लोगों की विशिष्ट संस्कृति और पहचान नष्ट होती जाएगी।

मंचूरिया, आंतरिक मंगोलिया और चीन में पूर्वी तुर्किस्तान के लोगों का मामला इस बात का साफ प्रमाण है कि अल्पसंख्यक नागरिकता के उपर प्रभावी हान नागरिकता के भारी जनसंख्या हस्तांतरण का विनाशकारी परिणाम क्या हो सकता है। आज मंचू लोगों की भाषा, लिपि और संस्कषति का पूरी तरह से लोप हो चुका है। आज आंतरिक मंगोलिया की कुल २.४ करोड़ जनसंख्या में से मूल मंगोलियाई जनसंख्या का हिस्सा सिर्फ २० फीसदी है।

चीन के कठोर रवैए वाले अधिकारियों के दावों के विपरीत, ज्ञापन की जो प्रति आपको उपलब्ध की गई है उसमें यह बात साफ है कि हमने चीन जनवादी गणतंत्र की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता की चीन सरकार की चिंताओं का पूरी तरह से ध्यान रखा है। इस ज्ञापन की व्याख्या अपने-अपने तरीके से की जा सकती है। इस बारे में आपकी टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत है।

इस अवसर पर मैं यूरोपीय संघ और संसद के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए चीनी नेतष्त्व को समझाने का थोड़ा प्रयास करें ताकि तिब्बती और चीनी, दोनों जनता के साझे हित के लिए तिब्बत मसले का हल वार्ताओं के माध्यम से निकाला जाए।

अपने संघर्ष के साधन में हिंसा के उपयोग को मैंने दृढ़ता से खारिज कर दिया है, निश्चित रूप से हमें अधिकार है कि हम सभी उपलब्ध अन्य राजनीतिक उपायों की तलाश करें। लोकतांत्रिक भावना के तहत ही मैंने तिब्बती जनता की स्थिति, तिब्बत मसले की स्थिति और तिब्बत आंदोलन की आगे की रणनीति पर विचार के लिए एक विशेष बैठक बुलाने का आह्वान किया। यह बैठक १७ से २२ नवंबर, २००८ को धर्मशाला (भारत) में आयोजित हुई। हमारे प्रयासों पर चीनी नेतृत्व द्वारा कोई सकारात्मक पहल न होने की वजह से कई तिब्बती लोगों में यह धारणा पुष्ट हो गई

है कि चीन सरकार किसी भी तरह के परस्पर स्वीकार्य हल के लिए इच्छुक ही नहीं है। कई तिब्बती नागरिकों का अब भी यह मानना है कि चीन सरकार तिब्बत का जबरन और पूरी तरह से चीन में विलय करना चाहती है। इसलिए ऐसे लोगों की मांग है कि तिब्बत की पूर्ण आजादी की मांग की जाए। कुछ अन्य लोगों का तर्क था कि तिब्बत के लोगों को आत्मनिर्धारण का अधिकार हो और वहां एक जनमत संग्रह कराया जाए।

इस प्रकार के विभिन्न मतों के बावजूद विशेष बैठक में आए प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मुझे यह अधिकार सौंपा कि तिब्बत, चीन और पूरी दुनिया की वर्तमान हालत और वहां हो रहे बदलावों के मद्देनजर मैं सबसे अच्छा रास्ता अख्तियार करूं। बैठक में पूरी दुनिया के तिब्बती समुदाय के ६०० नेताओं और प्रतिनिधियों के द्वारा आए सुझावों का मैं अध्ययन करूंगा। इसमें तिब्बत में रहने वाले अलग-अलग वर्गों के तिब्बतियों के भी विचार जानने में सफलता मिली है।

मैं लोकतंत्र का पूर्ण समर्थक हूं। इस वजह से ही मैंने निर्वासित तिब्बतियों को लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करें। आज तिब्बती शरणार्थी समुदाय ऐसे कुछ ही शरणार्थी समुदायों में शामिल है जिन्होंने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को स्थापित किया है। साल २००१ में हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दिशा में एक और महान कदम उठाया, जब निर्वासित तिब्बत सरकार के कशग (प्रधानमंत्री) का चुनाव जनता के मत से हुआ।

मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि आखिरकार तिब्बती जनता को ही तिब्बत का भविष्य तय करने में सक्षम होना चाहिए। जैसा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ७ दिसंबर १९५० को भारतीय संसद में कहा था, "तिब्बत के बारे में अंतिम आवाज तिब्बती जनता की होनी चाहिए किसी और की नहीं।" तिब्बत के मसले के इतने आयाम और निहितार्थ हैं कि वे ६० लाख तिब्बतियों के भविष्य के अलावा भी प्रभाव रखते हैं। तिब्बत भौगोलिक रूप से भारत और चीन के बीच स्थित है। शताब्दियों तक तिब्बत धरती के दो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों को अलग करने वाले एक शांतिपूर्ण बफर जोन के रूप में था। लेकिन तथाकथित "तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति" के कुछ साल बाद ही १९६२ में दुनिया ने दो एशियाई ताकतों के बीच पहली बार युद्ध होते देखा।

इससे यह बात साफ होती है कि तिब्बत के मसले के तत्काल और शांतिपूर्ण

समाधान से ही एशिया के दो सबसे ताकतवर देशों के बीच हमेशा के लिए और वास्तविक भरोसा और मित्रता कायम की जा सकती है। तिब्बत का मसला वहां के नाजुक पर्यावरण से भी जुड़ा है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका प्रभाव एशिया के अधिकांश हिस्से में अरबों लोगों तक है। तिब्बत का पठार एशिया की कई महान नदियों का स्रोत है। ध्रुवों के बाहर पृथ्वी के सबसे बड़े बर्फ भंडार तिब्बत के ग्लेशियर ही हैं। कई पर्यावरणविद तो अब तिब्बत को तीसरा ध्रुव मानने लगे हैं। लेकिन वहां यदि इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा तो अगले १५-२० साल में सिंधु नदी सूख सकती है। इसके अलावा तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत बौद्ध धर्म के करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए इससे न सिर्फ ६० लाख तिब्बती लोगों बल्कि हिमालय, मंगोलिया और रूस में कालमिकिया एवं बरयात के लोगों का भी जुड़ाव है। इसमें चीनी भाइयों एवं बहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इन सबमें यह क्षमता है कि एक शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकें।

मेरा नियम यही है कि हमेशा सबसे अच्छे की उम्मीद करें और सबसे खराब के लिए तैयार रहें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं निर्वासित तिब्बतियों को सलाह दी है कि वे निर्वासन की अपनी सांस्कषतिक और धार्मिक संस्थाओं को मजबूत करने के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए ज्यादा कठोर प्रयास करें। इसमें उद्देश्य यह हो कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हो और तिब्बती शरणार्थी समुदाय के बीच लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक समाज को मजबूत किया जा सके और उनका प्रसार हो सके।

हमारे निर्वासित समुदाय के प्रमुख लक्ष्यों में से यह भी है कि जहां तक संभव हो अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जाए और तिब्बत के भीतर रहने वाले लोगों की स्वतंत्र आवाज बनें। हमें जिन लक्ष्यों और चुनौतियों का सामना करना है वे काफी भयभीत करने वाले हैं। एक शरणार्थी समुदाय के रूप में हमारे संसाधन स्वाभाविक रूप से बहुत सीमित हैं। हम तिब्बतियों को इस वास्तविकता का भी सामना करना होगा कि हमारा निर्वासन काफी लंबे समय तक खिंच सकता है। इसलिए हमारे शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयासों में मदद करने के लिए मैं यूरोपीय संघ के प्रति कृतज्ञ रहूंगा।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय संघ के चीन के साथ सैद्धांतिक और लगातार संपर्क से चीन में पहले से चल रही बदलाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। अब पूरी दुनिया में लोग ज्यादा खुलापन, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सम्मान

की तरफ बढ़ रहे हैं। आज या कल चीन भी इस वैश्विक चलन का हिस्सा बनेगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यूरोपीय संसद की इस बात के लिए तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने चीन में मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले हु जिया को प्रतिष्ठित सरकोजी पुरस्कार से नवाजा। हम यह देख रहे हैं कि चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। अपने नए हासिल दर्जे में अब चीन दुनिया के मंच पर प्रमुख भूमिका निभा सकता है। मैं समझता हूं कि इस भूमिका को सही तरीके से निभाने के लिए चीन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वहां ज्यादा खुलापन, पारदर्शिता, कानून का शासन और सूचना एवं विचार की स्वतंत्रता हो।

इसमें कोई संदेह नहीं चीन के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के रवैए और नीतियों से चीन में हो रहे बदलावों की दिशा तय होगी, यहां तक कि इसका प्रभाव वहां के घरेलू आयोजनों और विकास कार्यों पर होगा। चीन सरकार की तिब्बत के प्रति लगातार अत्यंत कठोर रवैए के विपरीत सौभाग्य से चीनी जनता (खासकर जानकार और शिक्षित लोगों में) में तिब्बती लोगों के अधिकारों की समझ और समर्थन बढ़ता जा रहा है। हालांकि, तिब्बत के बारे में चीनी नेतृत्व के प्रति मेरा विश्वास कम से कम होता जा रहा है, लेकिन चीनी जनता के प्रति मेरे भरोसे में कोई कमी नहीं आई है।

चीनी बुद्धिजीवियों ने इस साल मार्च में चीन सरकार द्वारा तिब्बती प्रदर्शनों के कठोर दमन की खुलकर आलोचना की थी और यह मांग की थी कि चीन सरकार संयम बरते तथा तिब्बत की समस्या का समाधान करने के लिए संवाद का सहारा ले। बंदी बनाए गए तिब्बती प्रदर्शनकारियों का मुकदमा लड़ने के लिए चीनी वकीलों ने खुलकर पेशकश की। आज तिब्बतियों की कठिन परिस्थिति और उनकी वैधानिक आकांक्षाओं के लिए हमारे चीनी भाइयों एवं बहनों के बीच समझ, समर्थन, सहानुभूति और एकात्मता बढ़ती जा रही है। यह सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात है। मैं इस अवसर पर अपने बहादुर चीनी भाइयों एवं बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तिब्बती जनता के लिए एकात्मता दिखाई।

अहिंसक तिब्बती संघर्ष के प्रति लगातार चिंता और समर्थन जताने के लिए मैं यूरोपीय संसद को भी धन्यवाद देता हूं। आपकी सहानुभूति, समर्थन और एकात्मता तिब्बत के भीतर और बाहर रहने वाली तिब्बती जनता के लिए हमेशा प्रेरणा और प्रोत्साहन का महान स्रोत रही है। मैं यूरोपीय संसद की तिब्बत इंटर-ग्रुप को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने तिब्बती जनता के दुःख को न केवल अपने राजनीतिक कार्य का केंद्र बनाया, बल्कि उनके हृदय को जीतने का काम किया है। तिब्बत के मसले

पर यूरोपीय संसद के कई प्रस्तावों से तिब्बती जनता के अधिकारों को प्रकाश में लाने और यूरोप सहित पूरी दुनिया के लोगों एवं सरकारों में तिब्बत मसले के प्रति जागरूकता बढ़ाने में काफी मदद मिली है।

यूरोपीय संसद द्वारा तिब्बत के लगातार समर्थन की चीन अनदेखी नहीं कर सकता। अगर इससे यूरोपीय संघ और चीन के रिश्तों में कोई खटास आई हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं आपके साथ अपनी इस सच्ची उम्मीद और विश्वास को साझा करना चाहता हूं कि तिब्बत एवं चीन का भविष्य अविश्वास की जगह परस्पर सम्मान, भरोसे और एक-दूसरे के हितों को मानने के रिश्ते पर आधारित होगा, भले ही आज तिब्बत में स्थिति काफी गंभीर है और मेरे दूतों एवं चीनी नेतष्त्व के बीच बातचीत की प्रक्रिया बाधित हो गई है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि तिब्बत के लिए आपके द्वारा व्यक्त की गई लगातार चिंता और समर्थन का दीर्घकालिक अवधि में सकारात्मक असर होगा और इससे तिब्बत मसले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जरूरी राजनीतिक वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। इसलिए आपका लगातार समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे अपने विचार आपसे साझा करने का सम्मान दिया।

ब्रुसेल्स, ४ दिसंबर, २००८

Date:- 1/Jan/2009

INDIA TIBET
COORDINATION OFFICE

Published by:-
India Tibet Coordination Office
H-10, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024, India
Ph.: 91-11-29830578, 29841569
Fax : 91-11-29840966
E-mail : bharatibbat@yahoo.com
Website : indiatibet.org